2018/00114

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोन्डेन्ट

श्री चतराराम पुत्र श्री मोडाराम जी जरिये

जाति देवासी आयु वयस्क(32)

निवासी आम्बेश्वरजी मार्ग कोलर (वेरा विलपुर)

तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज.)

बहैसियत पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर मैसर्स प्रेम कार्गो मूवर्स प्रा. लि.

ई 776 / III लाल कोठी स्कीम जयपुर ।

सरकार जरिये

अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट** मुकदमा नं. **82 वर्ष 2018**

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19.12.2018 | प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना पालडी एम के सी. आर. नं. 134 दिनांक 27.11.2018 में दिनॉक 26.11.2018 को उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का टेंकर नम्बर आजे 29 जीए 1642 पकडा गया हैं जिसमें 19980 लीटर डीजल भरा हुआ है एवं 2 ड्रमों एवं 3 जरीकन में 290 लीटर डीजल भरा हुआ हैं । उन्हे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही श्रीमती नीलिमा शर्मा को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैनें परिवाद का अवलोकन किया । मूल डायरी प्रस्तुत नही की गई परिवाद प्रस्तुत किया गया जिसका का अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 26.11.2018 को वक्त 9.05 पी.एम. पर श्री सोमाराम हेडकानि. नम्बर 291 पुलिस थाना पालडी एम ने उप अधीक्षक पुलिस सिरोही को सूचना दी कि हनुमान होटल हाईवे नम्बर 62 जो सरहद पालडी एम थाना में स्थित है जहां होटल के बाहर खाली जगह पर एक टेंकर चालक अपने टेंकर की सील तोडकर डीजल चोरी कर रहा है एवं होटल पर कार्यरत् दिनेश पुत्र श्री भागीरथ विश्नोई निवासी कावडा पुलिस थाना ओसियां जिला जोधपुर चोरी किया हुआ डीजल कम दाम में बिकी कर रहा है तथा उक्त डीजल को अवैद्य रूप से खरीद कर संचय कर अन्य लोगो को मुनाफा कमाने हेतु उच्च दामों में बेच रहा है कार्रवाई हेतु आवें उक्त सूचना मिलने पर मौके पर पहुचें तो सरहद में हनुमान होटल के पास वाहन सं. आर. जे.29 जीए 1642 को चैक करने पर उसकी सील टुटी हुई पायी गई और सील के संबंध में श्री इरफान पुत्र श्री बाबुखां मुसलमान निवासी धिरोडदा पुलिस थाना जसवतगढ जिला नागौर जो वाहन का चालक है से पूछने पर बताया कि उसनें डीजल चोरी करने के लिए टेंकर की सील तोडकर इस टेंकर मे से 20 लीटर डीजल दिनेश को बेचा है मौके | |

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

पर उपस्थित इरफान की तलाशी लेने पर उसकी जेब से तोडी गई सील बरामद की गई तथा चोरी किया गया डीजल मौके पर पास ही रखे 2 आसमानी रंग के ड्रम एवं 1 भूरे रंग के 50 लीटर जरीकन तथा 2 20 लीटर के जरीकन में भरा हुआ पाया गया वही पर एक लोहे का किमा एवं 15 फिट लम्बा 1 प्लास्टिक का पाईप पाया गया है 2 बडे ड्रमों की क्षमता 200 –200 लीटर की है। जिसे पूछने पर दिनेश ने बताया कि इस 20 लीटर डीजल के अलावा भी उसने अन्य टैंकरो के चालको से चोरी किया हुआ डीजल क्रय किया है जो उच्च दामों में अन्य लोगो को बेचान किया जाता है इस प्रकार अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्लघन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 की SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण वाहन एवं डीजल आदि के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह देवडा व श्रीमती नीलिमा शर्मा अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का ड्राईवर श्री इरफान पुत्र श्री बाबुखां जाति मुसलमान निवासी धिरोडदा थाना जसवतगढ जिला नागौर हमेशा की तरह वाहन में डीजल भरकर कम्पनी के प्रेट्रोलपम्प जो सरहद थाना पालडी एम में अवस्थित है पर खाली करने हेतु जा रहा था । रास्ते में के पास पालडी एम ग्राम की सरहद में पुलिस ने उसके वाहन को रोककर जॉच की तो उसमें 20000 लीटर डीजल पाये जाने पर वाहन एवं डीजल को कब्जे सरकार लिया गया । प्रार्थी वाहन का एक मात्र पंजीकृत स्वामी है । वाहन के थाने में पडे रहने से उसका रंगरोगन खराब हो जायेगा एवं डीजल खराब हो जायेगा जिससे उसे अतुलनीय क्षति होगी । पुलिस द्वारा वाहन से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है । इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

अतः वाहन जमानत एवं सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

श्रीमती नीलिमा शर्मा अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि वाहन चालक द्वारा डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय डीजल को कब्जे सरकार लिया गया है । प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

ऐसी स्थिति में डीजल एवं वाहन को जमानत एवं सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस सिरोही द्वारा थाना पालडी एम के मुकदमा संख्या 134 दिनांक 27.11.2018 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में टाटा टेंकर एलपीटी 2515 वाहन संख्या आर.जे. 29 जीए 1642 में डीजल 19980 लीटर को कब्जे सरकार लिया गया है । उसे जमानत एवं सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया । थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम के एफ आई आर क्रमांक 134 दिनांक 27.11.2018 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्येापान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूचती हूँ कि पुलिस द्वारा टाटा टेंकर एलपीटी 2515 वाहन संख्या आर. जे. 29 जीए 1642 में 19980 लीटर डीजल चोरी करते हुये पाये जाने पर डीजल व वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अुनसन्धान जारी है । वाहन को जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना नही पाया जाता है । ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है एवं उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए एवं डीजल ज्वलनशील पदार्थ होने से उसका अंतरिम निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

का सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 6,50,000/– की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है । वाहन में भरे हुए डीजल एवं ड्रमों एवं जरीकन में भरा डीजल जल्द ज्वलनशील होने वाली वस्तु हैं, जिसका अन्तरिम निस्तारण करना आवश्यक हैं ।

अतः जिला रसद अधिकारी सिरोही कब्जे सरकार लिये गये 20260 लीटर डीजल जो टेंकर नं. आरजे 29 जीए 1642 एवं दो ड्रमों एवं तीन जरीकन में भरा हुआ है एवं टेंकर की सील डीजल निकालने के उपकरण किमा व नली जो पुलिस थाना पालडी एम में पडा हैं, को नियमानुसार लाईसेंस होल्डर डीलर/पेट्रोलपंप डीलर को कम्पनी दर पर दिलवा कर प्राप्त राशि बतौर अमानत राजकोष में जमा करावे ।

साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान यथाशीघ्र सम्पन्न किया जाकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे एवं केस डायरी समय पर प्रस्तुत नही करने लिए अभियोजन अधिकारी के माध्यम से एवं वाहन मालिक एवं डीजल मालिक को पक्षकार नही बनानें के लिए पुलिस अधीक्षक सिरोही के मार्फत अपना स्पष्टीकरण आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.01.2019 से पूर्व पेश कर संशोधित अनवान/इस्तगासा प्रस्तुत करे ।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके पंजीकृत स्वामी की जांच कर वाहन सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम को भिजवाई जावे एवं कुल डीजल 20260 लीटर को अंतरिम निस्तारण कर प्राप्त राशि बतौर अमानत राजकोष में जमा करा कर चालान की प्रति तारीख पेशी दिनांक 29.01.2019 से पूर्व प्रस्तुत करने हेतु भिजवाई जावें । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(अनुपमा जोरवाल)
**जिला कलेक्टर, सिरोही**

Scanned by CamScanner